(16)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्र० R. 5208-दो/15

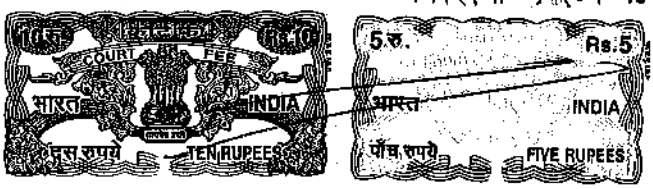

1- चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय तनय शीतला प्रसाद पाण्डेय

2- शीतला प्रसाद पाण्डेय पिता रामविशाल पाण्डेय दोनों निवासी

ग्राम चौधरान टोला रामनगर, तह० रामनगर जिला सतना म०प्र०--- आवेदकगण

बनाम

सुखप्रसाद तनय रामविशाल निवासी ग्राम चौधरानटोला, तह० रामनगर जिला

सतना म०प्र० ---------- अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक

महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल मिनगना,

तह० रामनगर जिला सतना दिनांक 24-1-15

बाबत प्रकरण क्र० 1अ12/14-15

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन

1959 ई०

श्री रजनीश मिश्रा द्वारा आज दिनांक 07-012-15 को प्रस्तुत किया गया।

सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन सम्बन्धी की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी तरह विधि विरुद्ध व न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध संचालित कर अनुचित आदेश पारित किया गया है।

चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5928/III/15 .... जिला सतना ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-15	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया। इससे स्पष्ट है कि रा.नि. ने आक्षेपित आदेश दि. 24-1-15 से गैरनिगरानीकार के आवेदन पर ग्राम चौधरानटोला की आ.न. 6/2 का सीमांकन पुष्ट किया है, जबकि दि 8-12-15 के ट्रेस नक्शे और दि-31-12-15 के कम्प्यूटर नक्शे में मूल स.न. 6 के बटांकों की तरमीम अवलोकनीय नहीं है। मौके पर सीमांकन के पूर्व नक्शे पर संबंधित भूखण्ड की विधिवत तरमीम हुई होना आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं हुआ है। अतः मैं आक्षेपित आदेश दि 24-1-15 निरस्त करता हूँ और तहसीलदार रामनगर को यह निर्देश देता हूँ कि वे समस्त हितबद्ध पक्षकारों और सरहदी कृषकों को सूचना और सुनवाई का अवसर देते हुए पहले तरमीम की कार्यवाही विधिवत पूर्ण करें, उसके बाद ही सीमांकन संबंधी कार्यवाही की जाए। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। (सदस्य)	